



जवाहर नवोदय विद्यालय

मुलथान, जिला—धार (म0प्र0)

LAST DATE OF ISSUE TENDER FORM:

18-11-20 (02.00 PM.)

Date of Closing :

19-11-20 (04.00 PM.)

R.No :- _____ Dt. _____

Date of Opening:

20-11-20 (11.30 AM.)

Tender Price :

Rs.100/-

Ref.No. /Tender/JNVDhar/2020-21/

Date: / /2020

प्रति,

मेसर्स
.....
.....

विषय :— विद्यालय में _____ प्रदाय करने हेतु निविदा ।

:: निविदा की शर्त ::

1. नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय ए-135, गेट नं० 02, अलकापूरी भोपाल की ओर से जवाहर नवोदय विद्यालय, मुलथान में संलग्न प्रारूप के अनुसार मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 19.11.2020 सायं 4.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए । निविदा एक अच्छी तरह पेकिंग किए हुए लिफाफे में जिसके ऊपर “_____ हेतु निविदा ” स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए । निविदा प्राचार्य कार्यालय में दिनांक 20.11.2020 को सुबह 11.30 बजे खोली जावेंगी ।
2. दरें जवाहर नवोदय विद्यालय मुलथान तक पहुंच होना चाहिए एवं उत्पाद शुल्क, विक्रय शुल्क, वेट, जीएसटी या कोई अन्य कर या आपूर्ति के संबंध में कोई भी आरोपण या दायित्व हो, दरों में सम्मिलित होना चाहिए । नवोदय विद्यालय समिति द्वारा कोई भी अतिरिक्त किराया भाड़ा देय नहीं होगा ।
3. निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की काटपीट अथवा ओहरराईटिंग नहीं होना चाहिए । यदि निविदादाता को किसी अंक में कोई परिवर्तन करना हो तो उसे साफ तरीके से काटकर परिवर्तित अंक को लिखकर वहाँ अपने पूर्ण हस्ताक्षर तथा दिनांक द्वारा सत्यापित करें । प्रमाणित हस्ताक्षर एवं दिनांक के अभाव में निविदा को निरस्त किया जा सकता है ।
4. अधोहस्ताक्षरी निविदा की निम्नतम् दरों को स्वीकृत करने हेतु बाध्य नहीं है तथा निविदा के कुछ भाग को या पूर्ण रूप से अस्वीकार करने हेतु अधिकार रखते हैं । जैसा कि संलग्न निविदा में उल्लिखित समस्त सामग्री या कोई या एक से अधिक जैसा भी वह निर्णय लें ।
5. निविदा की स्वीकृति पर एक अनुबंध होगा और निविदादाता निविदा में दी गई शर्तें एवं सामान्य वित्तीय नियमों के पालन हेतु बाध्य होगा ।
6. निविदा प्रस्तुतकर्ता को “प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, मुलथान जिला—धार” के पक्ष में रूपये (शब्दों में रूपये) धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निविदा फार्म के साथ ही भेजना अनिवार्य है । बैंक ड्राफ्ट “बैंक ऑफ इंडिया, मुलथान, जिला—धार” के नाम से देय होना चाहिए अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी । संविदा में दी गयी शर्तें एवं नियमों का उल्लंघन करने पर धरोहर राशि को जप्त कर लिया जावेगा । निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में धरोहर राशि को सिक्युरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा किया जावेगा जो कि प्रदत्त सामग्रियों की कुल राशि का 10 प्रतिशत लिया जावेगा । यदि निविदादाता सिक्युरिटी डिपॉजिट के भुगतान हेतु तैयार नहीं है, तो उसे लिखित में कारण दर्शाना होगा । अधोहस्ताक्षरकर्ता निविदादाता की इस प्रार्थना को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के लिये अधिकृत रहेंगे ।
7. यदि निविदादाता प्रदाय आदेश अनुसार मंगवाई गई सामग्री को निश्चित समय में प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह बाजार से उक्त सामग्री क्य कर ले अथवा अन्यत्र से उक्त संविदा को पूर्ण कर चाही गई सामग्री खरीद ले । ऐसी स्थिति में अधिक भुगतान की गई अंतर की राशि निविदादाता की धरोहर राशि में से काट ली जावेगी । यदि सिक्युरिटी डिपॉजिट/धरोहर राशि से अधिक की राशि निविदादाता को अधोहस्ताक्षर कर्ता द्वारा अदा कर दी गई हो तो निविदादाता को इस राशि को वापस करना होगा । जिसके संबंध में आपूर्तिकर्ता को एक सूचना पत्र दिया जावेगा एवं भविष्य में दोबारा आपूर्ति देरी से करने पर या नहीं करने पर निविदा निरस्त कर दूसरी कम मूल्य वाली फर्म से आपूर्ति लेने के निर्णय का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा और ऐसी स्थिति में आपकी जमा धरोहर राशि राजसात की जावेगी एवं संबंधित फर्म को ब्लेकलिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकती है ।
8. संलग्न प्रपत्र में सामग्री की संख्या अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार बिना कारण बताये उसके विवेकानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है ।

9. निविदादाता को सामग्री का स्वयं का नमूना निविदा खोलने के दिनांक/स्थान पर लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है तथा निविदादाता (ठेकेदार) को सामग्री के नमूनों का प्रदर्शन निःशुल्क करना होगा । और स्वीकृत नमूना विद्यालय में जमा कराना होगा । नमूनों के पैकिट पर संबंधित फर्म का नाम अनिवार्य रूप से लिखना होगा ।
10. निविदादाता द्वारा दिये गये भाव दिनांक 30.04.2021 तक प्रभावशील रहेंगे । ब्राण्डेड सामग्रियों के क्रय के साथ कम्पनी द्वारा यदि काई फ़ी गिफ्ट की योजना हो एवं वह पैकिंग पर चिह्नित/मुद्रित हो तो ऐसी दशा में निविदादाता को वह सामग्री भी निःशुल्क ही देना होगी तथा उक्त सामग्री बिल में दर्शाई जाना आवश्यक होगी जिसका विद्यालय द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा ।
11. सीलबंद निविदाएं दिनांक 20.11.2020 को सुबह 11.30 बजे कार्यालय प्राचार्य ज.न.वि. मुलथान में विद्यालय क्रय सलाहकार समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी ।
12. निविदा स्वीकृत होने की दशा में तथा क्रय आदेश दिये जाने पर यदि प्रदाय की गयी सामग्री अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा स्वीकृत नमूना व स्पेसिफिकेशन अनुसार नहीं पाये जाने पर सप्लाय की गई सामग्री को निरस्त कर दिया जावेगा ।
13. फर्निचर क्रय करने की दशा में प्रदाय किया गया फर्निचर विद्यालय की मांग के अनुसार होना चाहिए । ठेकेदार द्वारा प्रदाय किये गये फर्निचर के उपर एक मेटल लेबल लगायेगा जिसपर उसका नाम, पता तथा निर्माण का वर्ष अंकित होना अनिवार्य है ।
14. धरोहर राशि सामग्री प्रदाय किये जाने के छ: माह बाद तक विद्यालय में रखी जावेगी यदि उक्त समयावधि में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो जो खर्चों की राशि को धरोहर राशि में से समायोजित कर लिया जावेगा ।
15. यूनिफार्म सिलाई के सम्बन्ध में सिलाई में लगने वाली सभी सामग्री टेलर्स की ही होगी केवल कपड़ा विद्यालय में दिया जावेगा । जिसकी निविदा स्वीकृत की जावेगी उस ठेकेदार को विद्यालय परिसर में ही अपनी सिलाई मशीन लाकर कपड़ों की सिलाई करनी पड़ेगी । विद्यालय में सिलने का स्थान की उपलब्धता नहीं होने पर ही सिलाई हेतु कपड़ा बाहर ले जाने की अनुमति दी जावेगी । सिलाई का कार्य संतोषजनक न होने पर बिना कोई सूचना दिये कार्य बंद कराया जा सकता है । कार्य का आदेश देने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर कार्य पूर्ण होना अनिवार्य है ।
16. प्रत्येक निविदा के साथ संलग्न “अण्डरटेकिंग” भरकर देना अनिवार्य होगा ।
17. पूर्णरूप से भरी निविदाएं ही स्वीकार की जावेगी ।
18. निविदादाता को प्रदाय की सामग्री के साथ विद्यालय में उपस्थित होकर विद्यालय जॉच समिति के समक्ष सामग्री को तुलवाना/नपवाना होगी एवं उसी समय बिल या चालान बनाकर प्रस्तुत करना होगा ।
19. खाद्यान्य निविदादाताओं निविदा के साथ क्रय/विक्रय का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संलग्न करना अनिवार्य है ।
20. निविदा प्रपत्र में चाहीं गई सामग्री की दरें निर्धारित /ब्राण्ड एवं तादाद में ही प्रस्तुत करें । अपने स्वयं की ओर से किसी अन्य कम्पनी/ब्राण्ड विशेष की दर अंकित न करें ।
21. खाद्यान्य सामग्री के प्रदाय हेतु foof safety and standards (Licensing and Registration of food business registration 2011) का लाईसेन्स टेप्डर फार्म के साथ लगाना अनिवार्य है ।
22. निविदादाता को निविदा के साथ फर्म का टीन नम्बर, कारोबार का प्रमाण पत्र एवं स्थाई खाता नम्बर व जी.एस.टी. की फोटो कापी जमा कराना आवश्यक है ।
23. विद्यालय द्वारा शासन के नियमानुसार प्रदायकर्ता के बिलो से टी डी एस की राशि काटी जावेगी ।
24. संलग्न अण्डरटेकिंग को फर्म / पार्टी अपने लेटर पेड पर लिखकर देना है ।
25. जिस मद के लिए निविदा भरी जावे उस मद के व्यवसाय का नियमानुसार शासकीय विभाग से जारी निर्धारित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है ।
26. अध्यक्ष क्रय सलाहकार समिति को अधिकार होगा कि वह बिना किसी सूचना के आंशिक या पूर्ण रूप से निविदा निरस्त कर दे ।
27. जिस मद की सामग्री आपूर्ति हेतु टैण्डर भरा जा रहा है उस सूची में अंकित सभी सामग्री के टैण्डर रेट अंकित करना अनिवार्य है । इस शर्त का पालन नहीं करने पर जमा धरोहर राशि राजसात की जा सकती है व टैण्डर निरस्त किया जा सकता है ।
28. किसी भी स्थिति में एम.आर.पी. से अधिक दर पर भुगतान नहीं किया जावेगा ।
29. एक ही स्पेसिफिकेशन एवं एक ही ब्राण्ड आयटम के एक से अधिक रेट जैसे ए.बी.सी.डी. में स्वीकार्य नहीं होंगे । इस प्रकार से रेट देने पर रेट स्वीकृत नहीं करने एवं जमा धरोहर राशि राजसात करने का एवं निविदा निरस्त करने का अधिकार क्रय सलाहकार समिति के पास सुरक्षित है ।
30. नेगोसिएशन या अन्य मीटिंग हेतु प्राचार्य द्वारा बुलाये जाने पर निविदादाता को स्वयं विद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा ।
31. किसी मद की सामग्री में यदि किसी निविदादाता द्वारा टैण्डर रेट में वर्ष भर के लिये सामग्री आपूर्ति हेतु फिक्स रेट अंकित किये जाते हैं तथा उसी आयटम के अन्य फर्म द्वारा एम.आर.पी.पर प्रतिशत में छूट पर दर अंकित की जाती है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में से जो न्यूनतम दर होगी उस पर भुगतान किया जावेगा ।

32. यदि प्रथम (**Lowest one**) निविदादाता स्वीकृत दर पर सामग्री आपूर्ति करने में असमर्थ रहता है तो दूसरी वरीयता कम वाली फर्म से सामग्री आपूर्ति कराई जावेगी एवं अंतर की राशि उसकी जमा धरोहर राशि राजसात की जावेगी । यदि राजसात की जानेवाली राशि से अधिक राशि की हानि विद्यालय को होती है तो अंतर की राशि विद्यालय में जमा करना होगी ।
33. उपरोक्त समस्त शर्तों एवं नियमों के अनुसार आपूर्ति न होने पर निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा ।
34. नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 1-101(17)/2017/.नविस/बीपीएल/पर्स/ दिनांक 04.05..2018 में निहित निर्देशानुसार GEM PORTAL के माध्यम से उक्त पोर्टल से भी सामग्री क्य की जा सकती है ।
35. निविदा उपरोक्त कंडिकाओं के पालन न करने पर निरस्त मानी जावेगी ।
36. सील्ड टेण्डर के साथ निम्नलिखित संलग्न होना चाहिए :-
1. संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा चालू वर्ष का आयकर भुगतान का प्रमाण-पत्र , जी.एस.टी. तथा अन्य करों का कलीयरेंस का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है ।
 2. धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट 'बैंक आफ इंडिया' शाखा मुलथान में देय होना चाहिए । बेबसाईड से टेण्डर फार्म प्राप्त करने पर अलग से राशि रु. 100/- (एक सौ रुपय) का बैंक ड्राफ्ट प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय मुलथान जिला धार के पक्ष में जो कि बैंक ऑफ इंडिया शाखा मुलथान के नाम से देय हो संलग्न करना अनिवार्य है ।
 3. निम्नतम् दरों एवं प्रदाय करने की दशा यदि कोई हो तो ।
 4. मापदण्ड एवं सूची पत्र व अन्य प्रदाय किये जाने वाले उपकरण की व्याख्या ।
 5. यदि अधिकृत विक्रेता हो तो अधिकार पत्र संबंधित निर्माणकर्ता से अथवा प्रदायकर्ता से होना अनिवार्य है ।
 6. अधिकृत व्यक्ति के प्रत्येक पेज पर दिनांक के साथ हस्ताक्षर होना चाहिए ।
 7. किसी भी दलाल के द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी ।
 8. निविदा प्रस्तुतकर्ता के नाम से रजिस्टर्ड दुकान, पता एवं पंजीयन होना अनिवार्य है ।
 9. सामान्यतया फण्ड उपलब्ध होने पर बिलों का भुगतान पन्द्रह दिन (15 days) की अवधि में किया जावेगा किंतु फण्ड उपलब्ध न होने की दशा में वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्ति होने तक बिल के भुगतान हेतु इन्तजार करना होगा ।
 10. खरीदी सामग्री के बिलों का भुगतान केवल रेखांकित चेक/ड्राफ्ट/पी.एफ.एम.एस. द्वारा ही किया जावेगा ।
 11. विद्यालय से प्राप्त निविदा पत्र में ही सामग्री के भाव अंकित करें ।
 12. धरोहर राशि चेक अथवा नगद स्वीकार नहीं किये जावेगे । यह केवल रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा जो कि "प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय मुलथान, जिला-धार को देय होगा ।

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय
मुलथान जिला-धार(म0प्र0)

UNDERTAKING BY THE SUPPLIER

We M/s----- do fully agree with the terms and conditions specified from 3 to 36 and enclose the rates of items as per list and specification by the Principal Jawahar Navodaya Vidyalaya Multhan Dist. Dhar.

Signature

Name of the Proprietor_____

Seal of the firm_____

Witness (Signature, Name & Address)

1 _____

2 _____